

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 21/12/25

120/25

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम की जनगणना सन्वत् 2024 में खाता संख्या में वर्तमान में वर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	तण्डु	263	दलीपसिंह विजयसिंह	दिलीपसिंह विजयसिंह

(पीठासीन अधिकारी)
 सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्द 20/12

दिनांक :-

क्रमांक :- 120/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 जिला-राजसमन्द